न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर, उधम सिंह नगर।
फौजदारी वाद संख्या–29/2022

कम्प्यूटर संख्या–8796/2022

राज्य बनाम गुरजीत सिंह

दिनांक–30.05.2025

पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि पूर्व नियत तिथियों पर जारी आदेशिकाओं के पश्चात अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नही आ रहे है। विधि अनुसार समन मामलों का निस्तारण 06 माह के भीतर किया जाना चाहिए।

उपरोक्त परिस्थितियों में धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अवलोकन किया जाना महत्वपूर्ण है जोकि यह प्रावधानित करती है किः–

कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति–'' परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किये जाने के पश्चात इस प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती है, वहां दोषमुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती है, और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड सकता है और ऐसे छोडने का प्रभाव उन्मोचन होगा।''

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी समय समय पर मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित पुराने मुकदमें को निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत पुराने लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है एवं **C.L. No-8x(d)-1-MiscDR(1)/2013** दिनांकित 02 जुलाई 2013 द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा मोटर वाहन अधिनियम व अन्य क्षुद्र मामले **(Petty Cases)** के त्वरित निस्तारण हेत निर्देशित किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में जब कि अभियुक्त अपने निवास स्थान पर दस्तयाब नही हो पा रहा है तथा मामला 06 माह से अभियुक्त की उपस्थिति हेतु लंबित चला आ रहा है, उक्त दशा में उपरोक्त प्रावधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रस्तुत मामले की कार्यवाही धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत रोकी जानी न्यायोचित है।

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत रोकी जाती है। यदि अभियुक्त निकट भविष्य में प्रकाश में आते है या उनका कोई हालिया पता संज्ञान में आता है, उक्त दशा में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध मामले में पुनः कार्यवाही के लिये स्वतन्त्र रहेंगे। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो। पत्रावली वीड आउट (weed out) नहीं की जायेगी। कार्यालय अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(दीप्ति पत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/
प्रथम अपर सिविल जज(जू0डि0), काशीपुर
जिला उधम सिंह नगर।